

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/15-16/द्वितीय किस्त/357

दिनांक: 12/07/16

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)  
(समस्त).....

12.7.16

रजिस्टर्ड पत्र  
महत्वपूर्ण

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
(समस्त).....

विषय:-आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2015-16 में 25% निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में द्वितीय किस्त की प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्भरण के संबंध में ।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016 तथा पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2015-16 में नव प्रवेशित एवं पूर्व वर्षों के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में सत्र 2015-16 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार के समसंख्यक पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016 तथा पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016 के अनुसरण में गैर सरकारी विद्यालयों को संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा कर दिया गया है । द्वितीय किस्त के भुगतान के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

(अ) शैक्षिक सत्र 2015-16 की द्वितीय किस्त का गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों को भुगतान कार्य करवाने हेतु टाईम फ्रेम :-

1. संबंधित गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से द्वितीय किस्त का क्लेम बिल जनरेट कर (सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रेषित करना।

15 अगस्त 2016 से पूर्व

2. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से ऑन लाईन पास ऑर्डर जारी कर पे-मैनेजर से बिल बनाकर कोषालय प्रेषित कर संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाना।

31 अगस्त 2016 से पूर्व

(ब) शैक्षिक सत्र 2015-16 के द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जानी सुनिश्चित करना:-

1. राज्य सरकार के पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 15.9.15, 18.11.15, 23.11.15 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।
2. निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 37 दिनांक 02.01.2016 तथा पत्रांक 69 दिनांक 12.02.2016 में दिये गये निर्देशों/उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कार्य संपादित किया जावे।
3. जिन गैर सरकारी विद्यालयों को प्रथम किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें द्वितीय किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जावे।
4. आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर पासऑर्डर जारी करने, बिल बनाने, क्लेम बिल जारी करने, क्लेम बिल निरस्त करवाने अथवा गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयोंद्वारा अनुभूत की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित आरटीई के केन्द्रीय कंट्रोल रूम (Central Control Room) जयपुर के दूरभाष नंबर 0141-2719073 पर संपर्क करें तथा समस्या का पूर्ण विवरण

संबंधित कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर के ई-मेल आईडी rteccrhelp@gmail.com पर मेल करें ।

केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर  
दूरभाष नंबर- 0141-2719073 (जयपुर)  
email ID- rteccrhelp@gmail.com

बीकानेर स्थित हैल्प सेंटर के दूरभाष नंबर- 0151-2220140

(स) शैक्षिक सत्र 2015-16 की पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों को प्रथम किस्त का भुगतान कार्य करवाने हेतु संशोधित टाईम फ्रेम :-

1. संबंधित गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से प्रथम किस्त का क्लेम बिल जनरेट कर (सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रेषित करना।

31 जुलाई 2016 से पूर्व

2. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल से ऑन लाईन पास ऑर्डर जारी कर पे-मैनेजर से बिल बनाकर कोषालय प्रेषित कर संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में पुनर्भरण राशि का भुगतान करवाना।

15 अगस्त 2016 से पूर्व

उपरोक्त बिन्दु संख्या (अ), (ब), (स) के संबंध में समस्त बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों एवं गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान कार्य उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.01.2016 की पालना में जिन गैर सरकारी प्रा./उ.प्रा. विद्यालयों की जांच कार्य के कारण 15-16 की प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है उन विद्यालयों को भुगतान करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश जारी किये गये हैं। संबंधित जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुये प्रथम किस्त का भुगतान तत्काल करावें उसके पश्चात द्वितीय किस्त का भुगतान भी उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार किया जावे।
3. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.01.2016 की पालना में जिन गैर सरकारी मा./उ.मा. विद्यालयों की जांच कार्य के कारण 15-16 की प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है उन विद्यालयों को भुगतान करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) को स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देश जारी किये जा रहे हैं। संबंधित जिशिअ माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुये प्रथम किस्त का भुगतान तत्काल करावें उसके पश्चात द्वितीय किस्त का भुगतान भी उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार किया जावे।
4. द्वितीय किस्त के भुगतान करने हेतु बीईईओ/जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा तथा जिशिअ माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा बजट राशि जारी की जा रही है।
5. प्रा./उ.प्रा. गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि पुनर्भरण राशि के भुगतान संबंधी किसी प्रकार की समस्या के संबंध में सर्व प्रथम बीईईओ/जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालयों से पत्र व्यवहार/सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाया जावे। उक्त कार्यालयों द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने की स्थिति में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से पत्र व्यवहार किया जाना अपेक्षित है।
6. मा./उ.मा. गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि पुनर्भरण राशि के भुगतान संबंधी किसी प्रकार की समस्या के संबंध में सर्व प्रथम जिशिअ माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों से पत्र व्यवहार/सम्पर्क कर समस्या का समाधान करवाया जावे। उक्त कार्यालयों द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से पत्र व्यवहार किया जाना अपेक्षित है।
7. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देश प्रदान करावें कि वे क्लेम बिल उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार संबंधित कार्यालयों में रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान नियमानुसार निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुये उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही/शिथिलता पाये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।




(जगदीश चन्द्र पुरोहित)

I.A.S.

निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) से उक्त निर्देशों की पालना करते हुये निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार पुनर्भरण कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
7. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
8. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की सत्र 2015-16 की प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार आरटीई पोर्टल पर क्लेम बिल जनरेट करने एवं पास ऑर्डर जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को SMS द्वारा सूचित करने का श्रम करें।
9. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)..... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिशिअ (प्राशि) कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करावें तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को प्रेषित करें ।
10. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
11. सहायक निदेशक (आरटीई), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ।



निदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर